

१५।१२।२०

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरात स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधनिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उमय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने सब्दी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

१५।१२।२०२२
अनुमण्डल पंडाधीकारी

गोद्धा।

१५।१२।२०२०
अनुमण्डल पंडाधीकारी

गोद्धा।